भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2120

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**विश्वविद्यालयों में असामाजिक तत्व**

**2120. डा॰ प्रदीप कुमार बालमुचूः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असामाजिक तत्व अपनी असामाजिक गतिविधियों हेतु विश्वविद्यालयों में धीरे-धीरे अपना गढ़ बना रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या तथ्यों की सत्यता जानने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय छात्रावासों में रहने वालों के साथ एक साथी को रहने की अनुमति प्रदान करता है जिससे असामाजिक तत्वों को विश्वविद्यालयों में अपना गढ़ बनाने का मौका

मिल जाता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन तथा सांस्कृतिक वातावरण को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि स्‍वायत्‍त संस्‍थाएं संबंधित संसद अधिनियमों के तहत स्‍थापित की जाती हैं और विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन तथा सांस्कृतिक वातावरण के संरक्षण सहित शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों मे कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। विश्वविद्यालय, स्‍वायत्‍त संगठन होने के नाते, स्‍थानीय प्राधिकारियों के साथ असामाजिक गतिविधियों से निपटने में सक्षम और अधिकार प्राप्‍त हैं।

जब कभी यूजीसी को कुप्रबंधन/अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त होती है तो आयोग उस शिकायत को समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित संस्‍थान को भेज देता है।

\*\*\*\*\*